कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री माइक्रो पावर सिस्टम, 548, ch / 305 सूर्या नगर ईस्ट, मानक नगर, आलमबाग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**029 / 13, 27.06.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ए0 के0 ठाकुर, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री माइक्रो पावर सिस्टम, 548, ch / 305 सूर्या नगर ईस्ट, मानक नगर, आलमबाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.06.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा Battery, UPS एवं Inverter के खरीद-बिक्री का व्यापार एवं UPS को किराये पर दिया जाता है तथा ‘‘ right to use ’’ के बिन्दु पर 5% की दर से करदेयता स्वीकार एवं अदा किया जाता है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा निम्न 02 प्रश्न पूछे गये हैं :-

1.Whether this type of transaction is taxable under VAT or not?

2. If yes, then the claim of ITC against VAT on Rental Charges at ‘‘ right to use ’’ point, is legal or not?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ए0 के0 ठाकुर, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Institute of Chartered Accountant of India के वेबसाइट पर उपलब्ध FAQ के एक स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि transfer of right to use के मामलों में ITC देय है। अत इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-942, दिनांक 23.07.2013 द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न भाँति दी गयी है :-

1. transfer of right to use, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (e) के अन्तर्गत व्यवसाय की श्रेणी में आता है और इन संव्यवहारों पर अधिनियम के अन्तर्गत करदेयता बनती है।

2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (7) के प्राविधानों के अनुसार transfer of right to use के मामलों में करदेयता के सापेक्ष ITC देय नहीं है। यह भी कहा गया है कि Institute of Chartered Accountant of India द्वारा FAQ में दिया गया स्पष्टीकरण, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के सन्दर्भ में नहीं है और यह किसी विधिक व्यवस्था के सन्दर्भ में बाध्यकारी भी नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (7) के प्राविधानों के अनुसार ऐसे मामलों में कोई ITC देय नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि transfer of right to use के संव्यवहार, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आच्छादित हैं। यह भी कहा गया है कि पूछा गया दूसरा प्रश्न, ITC से

......2

सम्बन्धित है और ITC की अनुमन्यता का विनिश्चय, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। transfer of right to use, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2(e) के अन्तर्गत व्यवसाय की श्रेणी में आता है और इन संव्यवहारों पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करदेयता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों में आई0 टी0 सी0 से सम्बन्धित कोई प्रश्न उल्लिखित नहीं है। अत: धारा-59 के अन्तर्गत आई0 टी0 सी0 से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

ह0 / 28.10.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।